भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

(1898 का अधिनियम संख्यांक 6)[1]

[22 मार्च, 1898]

भारत में डाकघर से सम्बद्ध विधि का समेकन
और संशोधन करने के लिए
अधिनियम

यत: यह समीचीन है कि भारत में डाकघर से सम्बद्ध विधि का समेकन और संशोधन किया जाए; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 कहा जा सकेगा ।

[2][(2) इसका विस्तार [3]*** सम्पूर्ण भारत पर है, और यह भारत से बाहर भारत के सब नागरिकों को भी लागू है ।]

(3) यह 1898 की जुलाई के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो,—

(क) "महानिदेशक" पद से [4][डाक तार] महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ख) किसी डाक वस्तु के सम्बन्ध में प्रयुक्त "अन्तर्देशीय" पद से अभिप्रेत है—

(i) भारत में डाक में डाली गई और [5][भारत] में के किसी स्थान के या किसी ऐसे स्थान के पते वाली जिसके लिए [5][भारत] की सीमाओं के बाहर कोई डाकघर [6][केन्द्रीय सरकार [7]***] द्वारा स्थापित है, या

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत की सीमाओं के बाहर स्थापित किसी डाकघर में डाक में डाली गई, और ऐसे स्थान के पते वाली जिसके लिए ऐसा कोई डाकघर स्थापित है, या भारत के स्थान के पते वाली :

[8][परन्तु "अन्तर्देशीय" पद किसी ऐसे वर्ग की डाक वस्तुओं को जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस दशा में लागू न होगा जिसमें कि वे किन्हीं ऐसे स्थानों या डाकघरों में जो अधिसूचना में वर्णित किए जाएं, डाली गई हों या उनके पते वाली हों;]

(ग) "डाक थैला" पद के अन्तर्गत कोई थैला, बक्सा, पार्सल या कोई अन्य लिफाफा या आवरक है, जिसमें डाक वस्तुएं, डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में, ले जाई जाती हैं, चाहे उनमें ऐसी कोई वस्तु अन्तर्विष्ट हो या न हो;

---

[1] इसका संशोधन निम्नलिखित को लागू होने में किया गया है :—

(1) 1941 के असम विनियम सं० 2 और 1942 के असम विनियम सं० 1 के द्वारा क्रमश: असम में अपवर्जित और भागत: अपवर्जित क्षेत्र को;

(2) 1942 के बिहार विनियम सं० 3 द्वारा बिहार में भागत: अपवर्जित क्षेत्र को;

(3) 1942 के मध्य प्रान्त और बरार विनियम सं० 1 द्वारा मध्य प्रान्त और बरार में भागत: अपवर्जित क्षेत्र को;

(4) 1942 के उड़ीसा विनियम सं० 1 द्वारा उड़ीसा में भागत: अपवर्जित क्षेत्र को;

(5) 1942 के यूनाईटेड प्राविन्स विनियम सं० 2 द्वारा यूनाईटेड प्राविन्स में भागत: अपवर्जित क्षेत्र को; और

(6) 1942 के बंगाल विनियम सं० 7 द्वारा दार्जिलिंग जिले को,

अधिनियम का विस्तार निम्नलिखित पर किया गया है :—

(1) अधिसूचना सं० 2735, तारीख 1-9-1962 द्वारा (1-9-1962 से) गोवा, दमण और दीव पर, देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3(ii), पृष्ठ-1991-92;

(2) 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा (1-7-1965 से) दादरा और नागर हवेली पर;

(3) 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा (1-10-1976 से) लक्षद्वीप पर ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" शब्द निरसित किए गए ।

[4] 1914 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा "भारत के डाकघर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[7] भारतीय स्वतन्त्रता (केंद्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव" शब्दों का लोप किया गया ।

[8] 1903 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया ।

(घ) "डाक पोत" पद से कोई ऐसा पोत अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार या हर मॅजेस्टी की सरकार या किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र या विदेश की सरकार द्वारा संविदा या चलन ठहराव के अनुसरण में, डाले जाने के लिए नियोजित है;

(ङ) "डाक विभाग का अधिकारी" पद के अन्तर्गत डाक विभाग के किसी कामकाज में या डाक विभाग की ओर से नियोजित कोई व्यक्ति भी है;

(च) "डाक महसूल" पद से डाक वस्तुओं के डाक द्वारा पारेषण के लिए प्रभार्य शुल्क अभिप्रेत है;

(छ) "डाक महसूल स्टाम्प" पद से इस अधिनियम के अधीन डाक वस्तुओं के बारे में देय डाक महसूल या अन्य फीस या राशियों को व्यक्त करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध किया गया कोई स्टाम्प अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत आसंजक डाक महसूल स्टाम्प और किसी लिफाफे, रैपर, पोस्ट कार्ड या अन्य वस्तु पर मुद्रित समुद्भृत, छापित या अन्यथा उपदर्शित स्टाम्प भी है;

(ज) "डाकघर" पद के अन्तर्गत डाक विभाग के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त प्रत्येक घर, भवन, कमरा, गाड़ी या स्थान और डाक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए डाक विभाग द्वारा उपलब्ध किया गया प्रत्येक लैटरबक्स है;

(झ) "डाक वस्तु" पद के अन्तर्गत कोई पत्र, पोस्ट कार्ड, समाचारपत्र, पुस्तक, पैटर्न या सैम्पल पैकेट, पार्सल और डाक द्वारा पारेषणीय हर वस्तु या चीज है;

(ञ) "महाडाकपाल" पद के अन्तर्गत उप महाडाकपाल या अन्य अधिकारी भी है जो महाडाकपाल की शक्तियों का प्रयोग करता है; और

(ट) "डाक विभाग" पद से वह विभाग अभिप्रेत है, [1][जो इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए स्थापित है और] जिसका अध्यक्ष महानिदेशक है ।

[2]* * * * * * *

3. "डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में" और "परिदान" के अर्थ—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) कोई डाक वस्तु, किसी डाकघर को उसके परिदान किए जाने के समय से लेकर प्रेषिती को उसके परिदान किए जाने या भेजने वाले को उसके लौटाए जाने या अध्याय 7 के अधीन उसका अन्यथा व्ययन किए जाने के समय तक डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में समझी जाएगी;

(ख) किसी प्रकार की डाक वस्तु को किसी डाकिए को, या उस प्रकार की किसी डाक वस्तु को डाक के लिए प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को, परिदान डाकघर को परिदान समझा जाएगा; और

(ग) किसी डाक वस्तु का प्रेषिती के घर पर या कार्यालय में या प्रेषिती को या उसके सेवक या अभिकर्ता को या अन्य ऐसे व्यक्ति को परिदान जो प्रेषिती को डाक वस्तुओं के परिदान की प्रायिक रीति के अनुसार वस्तु को लेने के लिए प्राधिकृत समझा जाता है, प्रेषिती को परिदान समझा जाएगा ।

अध्याय 2

सरकार का विशेषाधिकार और संरक्षण

4. पत्रों को पहुंचाने के अनन्य विशेषाधिकार का सरकार के लिए आरक्षित होना—(1) [3][भारत] के अन्दर जहां कहीं भी डाक या डाक संचार व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती है वहां सब पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान को डाक द्वारा पहुंचाने का अनन्य विशेषाधिकार तथा सब पत्रों को ग्रहण करने, संगृहीत करने, भेजने, प्रेषित करने और परिदत्त करने की सब आनुषंगिक सेवाओं को करने का अनन्य विशेषाधिकार भी, निम्नलिखित दशाओं में के सिवाय, केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होगा, अर्थात् :—

(क) किसी निजी मित्र की मार्फत, जो अपने मार्ग, यात्रा या सफर में है, भेजे गए पत्र, जिनका परिदान उन्हें ग्रहण करने, ले जाने या परिदत्त करने के लिए भाड़े, पुरस्कार या अन्य लाभ या फायदे के बिना उस द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे वह भेजे गए हैं, किया जाना है;

(ख) भेजने वाले या पाने वाले के कामकाज से ही संयुक्त पत्र, जो उसी प्रयोजन के लिए संदेश वाहक के द्वारा भेजे गए हैं; और

(ग) या तो समुद्र द्वारा या भूमि द्वारा भेजे गए माल या सम्पत्ति से ही संबंधित पत्र, जिनका परिदान उस माल या सम्पत्ति के साथ जिनसे वे पत्र संबंधित हैं, उन्हें ग्रहण करने, ले जाने या परिदत्त करने के लिए भाड़े, पुरस्कार या अन्य लाभ या फायदे के बिना किया जाना है :

---

[1] 1914 के अधिनियम सं० 14 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा जोड़े गए खंड (1) का 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु इस धारा की कोई बात पत्रों को डाक से अन्यथा भेजने के प्रयोजन के लिए उनका संग्रहण करने के लिए किसी व्यक्ति को यथापूर्वोक्त दशा के सिवाय प्राधिकृत नहीं करेगी ।

(2) इस धारा और धारा 5 के प्रयोजनों के लिए "पत्र" पद के अन्तर्गत पोस्टकार्ड भी हैं ।

5. कतिपय व्यक्तियों का पत्रों को पहुंचाने के लिए स्पष्टत: निषिद्ध होना—[1][भारत] के अन्दर जहां कहीं भी डाक या डाक संचार व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती है वहां निम्नलिखित व्यक्तियों को पत्र संगृहीत करने, ले जाने, देने या परिदत्त करने से अथवा पत्र ले जाने या परिदत्त करने के प्रयोजन के लिए उन्हें ग्रहण करने से, यद्यपि वैसा करने के लिए वे कोई भाड़ा, पुरस्कार या अन्य लाभ या फायदे अभिप्राप्त नहीं करते, स्पष्टतया निषिद्ध किया जाता है, अर्थात् :—

(क) यात्रियों या माल के सामान्य वाहक और उनके सेवक या अभिकर्ता, सिवाय उन पत्रों के बारे में जो केवल उनके छकड़ों या गाड़ियों में के माल से सम्बन्धित हैं; और

(ख) [1][भारत] में किसी नदी या नहर पर या [1][भारत] के किन्हीं पत्तनों या स्थानों के बीच चलने वाले या पार करने वाले जलयानों के स्वामी और मास्टर और उनके सेवक या अभिकर्ता, सिवाय उन पत्रों के बारे में जो केवल फलक पर के मालों से सम्बन्धित हैं और सिवाय उन डाक वस्तुओं के बारे में जो अध्याय 8 के अधीन पहुंचाए जाने के लिए ग्रहण की जाती हैं ।

6. हानि, गलत परिदान, विलम्ब या नुकसान के लिए दायित्व से छूट—[2][सरकार] डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु की हानि, गलत परिदान या विलम्ब या नुकसान के कारण कोई दायित्व वहां तक के सिवाय उपगत नहीं करेगी जहां तक कि केन्द्रीय सरकार के ऐसा दायित्व इसके पश्चात् इसमें उपबन्धित रूप से अभिव्यक्त निबन्धनों के अनुसार अपने ऊपर ले लिया हो; और डाक विभाग का कोई अधिकारी ऐसी किसी हानि, गलत परिदान, विलम्ब या नुकसान के कारण कोई दायित्व उस दशा के सिवाय उपगत नहीं करेगा जिसमें कि उसने वैसा कपटपूर्वक या अपने जानबूझकर किए कार्य या व्यतिक्रम द्वारा किया हो ।

अध्याय 3

डाक महसूल

7. अन्तर्देशीय डाक महसूल की दरें नियत करने की शक्ति—(1) इस अधिनियम के अधीन, अन्तर्देशीय डाक द्वारा भेजी गई डाक वस्तुओं के विषय में डाक महसूलों की दरों और अन्य राशियों को, जो प्रभारित की जानी है, केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर सकेगी, और वजनों के मापमान, निबन्धनों और शर्तों की बाबत नियम बना सकेगी जिनके अध्यधीन इस प्रकार नियत दरें प्रभारित की जाएंगी :

[3][परन्तु ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने तक, पहली अनुसूची में उपवर्णित दरें, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य दरें होंगी ।]

[4]* * * * *

(3) केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि कौन से पैकेट इस अधिनियम के अर्थ में पुस्तक, पैटर्न और सैम्पल के रूप में अन्तर्देशीय डाक द्वारा भेजे जा सकेंगे ।

8. कुछ दशाओं में डाक महसूल और फीसों के संदाय के विषय में नियम बनाने की शक्ति—केंद्रीय सरकार नियम द्वारा,—

(क) यह अपेक्षा कर सकेगी कि अन्तर्देशीय डाक वस्तु या अन्तर्देशीय डाक वस्तुओं के किसी वर्ग पर डाक महसूल का पूर्वसंदाय किया जाए और वह रीति विहित कर सकेगी जिसमें पूर्वसंदाय किया जाएगा;

(ख) वह डाक महसूल विहित कर सकेगी जो अन्तर्देशीय डाक वस्तुओं पर तब प्रभारित किया जाएगा जब डाक महसूल का पूर्वसंदाय नहीं हुआ है या उसका अपर्याप्त पूर्वसंदाय हुआ है;

(ग) प्रभार के बिना या ऐसे अतिरिक्त प्रभार के अध्यधीन जैसा नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए, डाक वस्तुओं को पता बदल कर भेजने और इस प्रकार पता बदलकर भेजने पर उन वस्तुओं के डाक द्वारा पारेषण के लिए उपबन्ध कर सकेगी; और

(घ) डाक वस्तुओं के "तुरन्त परिदान" के लिए प्रभारित की जाने वाली ऐसी फीस विहित कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन उस पर प्रभार्य किसी अन्य डाक महसूल के अतिरिक्त या बदले में हो ।

स्पष्टीकरण—"तुरन्त परिदान" से विशेष संदेश वाहक या वाहन द्वारा परिदान अभिप्रेत है ।

---

[1] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्राउन" के स्थान पर प्रतिस्थापित जिसे भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "दि सेक्रेटरी आफ स्टेट्स फार इंडिया इन काउंसिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 133 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2017 के अधिनियम सं० 7 की धारा 133 द्वारा लोप किया गया ।

9. रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्रों के बारे में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्रों के रूप में अन्तर्देशीय डाक द्वारा पारेषण के लिए समाचारपत्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करने वाले नियम बना सकेगी ।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए ऐसा हर प्रकाशन जिसमें विज्ञापनों के साथ या उनके बिना, सम्पूर्णत: या अधिकांशत: राजनैतिक या अन्य समाचार, या उनसे या अन्य सामयिक विषयों से सम्बद्ध लेख हों, निम्न शर्तों के अध्यधीन समाचारपत्र समझा जाएगा, अर्थात्:—

(क) वह इकतीस दिनों से अनधिक के अन्तरालों पर अंकों में प्रकाशित होता है; और

(ख) उसके पास वास्तविक ग्राहक-सूची है ।

(3) किसी समाचारपत्र का ऐसा अतिरिक्त या अनुपूरक अंक जिस पर वही तारीख है जो कि उस समाचारपत्र की तारीख है और जो उसके साथ ही पारेषित किया जाता है उस समाचारपत्र का भाग समझा जाएगा :

परन्तु कोई भी अतिरिक्त या अनुपूरक अंक ऐसा तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसमें सम्पूर्णत: या अधिकांशत: उस समाचारपत्र की ही जैसी सामग्री न हो और हर पृष्ठ के सिरे पर उस समाचारपत्र का शीर्षक और प्रकाशन की तारीख मुद्रित न हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा या तद्धीन नियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जाएगा कि वह समाचारपत्रों को अन्तर्देशीय डाक द्वारा भेजना अनिवार्य बनाती है ।

10. विदेशी डाक महसूल की दरें घोषित करने की शक्ति—(1) जहां [1][भारत] तथा यूनाइटेड किंगडम या किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र या विदेश का बीच डाक वस्तुओं के डाक द्वारा पारेषण के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ या ऐसे कब्जाधीन क्षेत्र या विदेश के साथ कोई ठहराव प्रवृत्त हों वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे ठहरावों के उपबन्धों के अनुकूल घोषित कर सकेगी कि ऐसी डाक वस्तुओं के सम्बन्ध में क्या डाक महसूल दरें और अन्य राशियां प्रभारित की जाएंगी तथा उन वजनों के मापमान, निबन्धनों और शर्तों की बाबत नियम बना सकेगी जिनके अध्यधीन इस प्रकार घोषित दरें प्रभारित की जाएंगी ।

(2) जब तक यथापूर्वोक्त घोषणा नहीं की जाती तब तक वर्तमान दरें और विनियम प्रवृत्त रहेंगे ।

11. डाक महसूलों के संदाय के लिए दायित्व—(1) ऐसी डाक वस्तु का प्रेषिती जिस द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य डाक महसूल या कोई अन्य राशि देय है इस प्रकार प्रभार्य डाक महसूल या राशि को डाक वस्तु का परिदान प्रतिगृहीत करने पर संदत्त करने के लिए आबद्ध होगा जब तक कि वह उसे बिना खोले तत्काल लौटा न दे :

परन्तु यदि महाडाकपाल का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई डाक वस्तु प्रेषिती को क्षुब्ध करने के प्रयोजन के लिए दुर्भाव से भेजी गई प्रतीत होती है तो वह डाक महसूल की माफी दे सकेगा ।

(2) यदि किसी डाक वस्तु को जिस पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य डाक महसूल या कोई अन्य राशि देय है पूर्वोक्त रूप में लेने से इंकार कर दिया जाता है या लौटा दिया जाता है या यदि प्रेषिती की मृत्यु हो गई है या वह पाया नहीं जा सकता तो भेजने वाला इस अधिनियम के अधीन उस पर देय डाक महसूल या राशि का संदाय करने के लिए आबद्ध होगा ।

12. डाक वस्तुओं के बारे में देय डाक महसूल और अन्य राशियों की वसूली—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी डाक वस्तु के बारे में अपने द्वारा देय कोई डाक महसूल या अन्य राशि देने से इंकार करता है तो इस प्रकार देय राशि, महाडाकपाल के लिखित आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत डाक विभाग के अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर, ऐसे इंकार करने वाले व्यक्ति से डाक विभाग के उपयोग के लिए ऐसे वसूल की जा सकेगी, मानो वह उस स्थान में, जहां वे व्यक्ति तत्समय निवासी हैं, अधिकारिता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट द्वारा इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना हो और महाडाकपाल यह अतिरिक्त निदेश दे सकेगा कि उस व्यक्ति के पते वाली ऐसी कोई अन्य डाक वस्तु, जो [2][सरकारी] सेवा पर न हो उससे तब तक विधारित रखी जाए जब तक कि इस प्रकार देय राशि यथापूर्वोक्त संदत्त नहीं कर दी जाती या वसूल नहीं हो जाती ।

13. डाक विभाग द्वारा संदत्त सीमाशुल्क का डाक महसूल के रूप में वसूलीय होना—जब कोई ऐसी डाक वस्तु, जिस पर कोई सीमाशुल्क संदेय है, [1][भारत] की सीमाओं से बाहर वाले किसी स्थान से डाक द्वारा प्राप्त हुई और शुल्क का संदाय किसी सीमाशुल्क पत्तन में या अन्यत्र डाक प्राधिकारियों द्वारा किया गया है, तब शुल्क की रकम इस प्रकार वसूलीय होगी मानो वह इस अधिनियम के अधीन देय डाक महसूल हो ।

14. डाक विभाग के चिह्नों का कतिपय द्योतित तथ्यों का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होना—किसी डाक महसूल या ऐसी अन्य राशि की जिसका किसी डाक वस्तु के बारे में इस अधिनियम के अधीन देय होना अभिकथित है, वसूली के लिए हर कार्यवाही में,—

(क) यह द्योतित करने वाले की वस्तु लेने से इंकार कर दिया गया है या कि प्रेषिती मर गया है या पाया नहीं जा सकता, डाक विभाग के शासकीय चिह्नों से युक्त उस डाक वस्तु की पेशी, वैसे द्योतित तथ्य का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा, और

---

[1] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मेजेस्टी के" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ख) वह व्यक्ति, जिससे उस डाक वस्तु का आना तात्पर्यित है, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, उसका भेजने वाला समझा जाएगा।

15. शासकीय चिह्न का डाक महसूल की रकम का साक्ष्य होना—डाक वस्तु पर वह शासकीय चिह्न जिससे द्योतित होता है कि उसके बारे में कोई डाक महसूल या अन्य राशि [1][भारत] के डाक विभाग या यूनाइटेड किंगडम या किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र या विदेश के डाक विभाग को देय है, इस बात का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा कि यथापूर्वोक्त द्योतित राशि इस प्रकार देय है।

अध्याय 4

डाक महसूल स्टांप

16. डाक महसूल स्टाम्पों का उपबन्ध और उसके विषय में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार ऐसी किस्मों के और ऐसे मूल्यों के द्योतक डाक महसूल स्टाम्पों का उपबन्ध कराएगी जैसे वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(2) केन्द्रीय सरकार डाक महसूल स्टाम्पों के प्रदाय, विक्रय और प्रयोग के विषय में नियम बना सकेगी।

(3) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) वह कीमत नियत कर सकेंगे, जिस पर डाक महसूल स्टाम्प बेचे जाएंगे;

(ख) डाक वस्तुओं के उन वर्गों को घोषित कर सकेंगे, जिनके बारे में डाक महसूल स्टाम्पों का प्रयोग, डाक महसूल या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य अन्य राशियों का संदाय करने के लिए किया जाएगा;

(ग) छिद्रित करने, मुहर लगाने और सब अन्य बातों के बारे में शर्तें विहित कर सकेंगे जिनके अध्यधीन डाक महसूल या अन्य राशियों के संदाय में डाक महसूल स्टाम्प स्वीकार या इंकार किए जा सकेंगे;

(घ) डाक महसूल स्टाम्पों की अभिरक्षा, प्रदाय और विक्रय को विनियमित कर सकेंगे;

(ङ) उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा और उन निबन्धनों और शर्तों को, जिनके अध्यधीन डाक महसूल स्टाम्प बेचे जा सकेंगे, घोषित कर सकेंगे; और

(च) डाक महसूल स्टाम्पों को बेचने वाले व्यक्तियों के कर्तव्य और पारिश्रमिक विहित कर सकेंगे।

17. डाक महसूल स्टाम्पों का राजस्व के प्रयोजन के लिए स्टाम्प समझा जाना—[2][(1)] धारा 16 के अधीन उपबन्धित डाक महसूल स्टाम्प, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में राजस्व के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्प समझे जाएंगे और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, डाक वस्तुओं के बारे में इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य डाक महसूल या अन्य राशियों के पूर्वसंदाय के लिए वहां के सिवाय प्रयुक्त किए जाएंगे जहां केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि पूर्वसंदाय किसी अन्य तौर से किया जाए।

[3][(2) जहां केन्द्रीय सरकार ने यह निदेश दिया है कि डाक वस्तुओं पर डाक महसूल या अन्य राशियों का जो इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य है पूर्वसंदाय उसके प्राधिकार के अधीन निकाले गए स्टाम्पन यंत्र की छापों द्वारा द्योतित मूल्य के पूर्वसंदाय द्वारा किया जा सकेगा, वहां ऐसे किसी यंत्र की छाप भी उसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अर्थ में राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया स्टाम्प समझी जाएगी।]

अध्याय 5

डाक वस्तुओं के पारेषण की शर्तें

18. डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक वस्तु का भेजने वाले को पुन: परिदान—(1) केन्द्रीय सरकार, डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम मे की किसी डाक वस्तु को भेजने को पुन: परिदान, प्रेषिती की सहमति के लिए निर्देश के बिना और ऐसी शर्तों के (यदि कोई हों) अध्यधीन, जैसी ठीक समझी जाएं, करने के लिए उपबन्ध, नियम द्वारा कर सकेगी।

(2) भेजने वाला डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु को किन्हीं नियमों द्वारा, जो उपधारा (1) के अधीन बनाए जाएं, यथा उपबन्धित के सिवाय वापस मांगने का हकदार नहीं होगा।

19. किसी भी क्षतिकारक चीज के डाक द्वारा पारेषण का प्रतिषिद्ध होना—(1) नियम द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी तद्द्वारा विहित की जाएं, कोई भी व्यक्ति किसी विस्फोटक, खतरनाक, गन्दे, अपायकर या हानिकारक पदार्थ को, किसी तेज औजार को, उचित रूप से संरक्षित न हो, या किसी जीवित जन्तु को जो या तो अपायकर है या जिससे डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक वस्तु को या डाक विभाग के किसी अधिकारी को क्षति पहुंचने की सम्भाव्यता है, डाक द्वारा नहीं भेजेगा।

---

[1] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] 1924 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा धारा 17 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया गया।

[3] 1924 के अधिनियम सं० 16 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या चीज को, जिससे डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक वस्तुओं को या डाक विभाग के किसी अधिकारी को क्षति पहुंचाने की सम्भाव्यता है, डाक द्वारा नहीं भेजेगा ।

[1][**19क. अप्राधिकृत लाटरियों से संबद्ध टिकटों, प्रस्थापनाओं इत्यादि के डाक द्वारा पारेषण का प्रतिषिद्ध होना**—कोई भी व्यक्ति—

(क) लाटरी से सम्बद्ध किसी टिकट, प्रस्थापना या विज्ञापन को; या

(ख) किसी लाटरी की वर्णनात्मक या उससे सम्बद्ध सामग्री को, जो उस लाटरी में भाग लेने के लिए व्यक्तियों को उत्प्रेरित करने के लिए प्रकल्पित है,

डाक द्वारा नहीं भेजेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "लाटरी" के अन्तर्गत सरकार द्वारा आयोजित प्राधिकृत लाटरी नहीं है ।]

20. किसी अशिष्ट वस्तु आदि के डाक द्वारा पारेषण का प्रतिषिद्ध होना—कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित को डाक द्वारा नहीं भेजेगा—

(क) कोई अशिष्ट या अश्लील मुद्रित सामग्री, रंगचित्र, फोटो, लिथोग्राफ, उत्कीर्णन, पुस्तक या कार्ड या कोई अन्य अशिष्ट या अश्लील वस्तु; या

(ख) कोई ऐसी डाक वस्तु जिस पर या जिसके आवरण पर कोई अशिष्ट, अश्लील राजद्रोहात्मक, गन्दे, धमकी देने वाले या घोर संतापकारी शब्द, चिह्न या डिजाइन हों ।

21. डाक वस्तुओं के डाक द्वारा पारेषण के बारे में नियम बनाने की शक्ति—[2][(1) केन्द्रीय सरकार डाक द्वारा वस्तुओं के पारेषण के विषय में नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम—

(क) ऐसी वस्तुएं विनिर्दिष्ट कर सकेंगे जो डाक द्वारा पारेषित नहीं की जा सकेंगी;

(ख) ऐसी शर्तें विहित कर सकेंगे जिन पर वस्तुएं डाक द्वारा पारेषित की जा सकेंगी;

(ग) खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में वस्तुओं के निरोध और व्ययन के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(घ) डाक वस्तुओं को डाक में डालने और परिदत्त करने की रसीद देने और प्रमाणपत्र देने और अभिप्राप्त करने के लिए और ऐसी रसीदों और ऐसे प्रमाणपत्रों के लिए किसी अन्य डाक महसूल के अतिरिक्त दी जाने वाली राशियों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; और

(ङ) आवरणों, प्ररूपों, आकारों, अधिकतम वजनों और आवेष्टकों को और पत्र व्यवहार करने के लिए पत्रों से भिन्न डाक वस्तुओं के प्रयोग को विनियमित कर सकेंगे ।]

(3) डाक वस्तुएं ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से, डाक में डाली जाएंगी और परिदत्त की जाएंगी जैसे या जैसी महानिदेशक, आदेश द्वारा समय-समय पर नियत करे ।

22. कतिपय डाक वस्तुओं के प्रेषण या परिदान को मुल्तवी करने की शक्ति—(1) जहां पत्रों का किसी डाकघर से प्रेषण या परिदान उसी समय पुस्तक, पैटर्न या सैम्पल पैकेटों और पार्सलों के या उनमें से किसी के प्रेषण या परिदान के कारण विलम्बित होता हो, वहां ऐसे पेकैट या पार्सल या उनमें से कोई, ऐसे नियमों के अध्यधीन जैसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त बनाए, डाक विभाग में इतने समय तक निरुद्ध किए जा सकेंगे जितना आवश्यक हो ।

(2) जहां पृथक् पार्सल डाक व्यवस्थाएं स्थापित हैं, वहां पार्सल उनके द्वारा प्रेषित किए और ले जाए जा सकेंगे और यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए डाक विभाग में निरुद्ध रखे जा सकेंगे ।

23. अधिनियम के उल्लंघन में डाक में डाली गई डाक वस्तुओं के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में डाक द्वारा भेजी गई कोई डाक वस्तु निरुद्ध की जा सकेगी और उसे या तो भेजने वाले को वापिस या गन्तव्य स्थान को अग्रेषित, हर दशा में ऐसे अतिरिक्त डाक महसूल (यदि कोई हो) से, जैसा केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा निदिष्ट करे, प्रभारित करके, किया जा सकेगा ।

(2) कोई अधिकारी जो डाकघर का भारसाधक हो या इस निमित्त महाडाकपाल द्वारा प्राधिकृत हो डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी ऐसे समाचारपत्र या किसी ऐसी पुस्तक, पैटर्न या सैम्पल पैटर्न को खोल सकेगा या उद्बन्धित कर सकेगा जिसके बारे में

---

[1] 1958 के अधिनियम सं० 7 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

उसे सन्देह है कि वह [1][धारा 20 के खण्ड (क) या] धारा 21 या इस अधिनियम के डाक महसूल से सम्बद्ध उपबन्धों में से किसी के उल्लंघन में डाक द्वारा भेजा गया है ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होने पर भी—

(क) धारा 19 [2][या धारा 19क] के उपबन्धों के उल्लंघन में डाक द्वारा भेजी गई कोई डाक वस्तु, महाडाकपाल के प्राधिकार के अधीन, यदि आवश्यक हो तो खोली और नष्ट की जा सकेगी; और

[3][(ख) धारा 20 के उपबन्धों के उल्लंघन में डाक द्वारा भेजी गई किसी डाक वस्तु का ऐसी रीति से व्ययन किया जा सकेगा जैसी केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा निदिष्ट करे ।]

24. उन डाक वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की शक्ति जिनमें विनिषिद्ध या शुल्क के दायित्वाधीन माल हों—[4][इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय यह है कि जहां कोई डाक वस्तु जिसके बारे में यह सन्देह है कि उसमें कोई ऐसे माल जिनका डाक द्वारा आयात या डाक द्वारा पारेषण तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के द्वारा या अधीन प्रतिषिद्ध है,] या शुल्क के दायित्वाधीन कोई चीज अन्तर्विष्ट है डाकघर में परिदान के लिए ग्रहण की जाती है वहां उस डाकघर का भारसाधक अधिकारी प्रेषिती को एक लिखित सूचना भेजेगा जिसमें उससे कहा जाएगा कि वह विनिर्दिष्ट समय के अन्दर या तो व्यक्तिश: या अपने अभिकर्ता की मार्फत डाकघर में हाजिर हो, और प्रेषिती की या उसके अभिकर्ता की उपस्थिति में या यदि प्रेषिती या उसका अभिकर्ता यथापूर्वोक्त हाजिर होने में असफल हो तो उसकी अनुपस्थिति में उस डाक वस्तु को खेलेगा और उसकी परीक्षा करेगा :

परन्तु प्रथमत: यह कि यदि महानिदेशक किसी डाकघर या डाकघरों के वर्ग की दशा में वैसा निदिष्ट करता है तो उस डाकघर का भारसाधक अधिकारी प्रेषिती या उसके अभिकर्ता की अनुपस्थिति में किसी डाक वस्तु को खोलने से पूर्व दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साक्षियों के रूप में बुलाएगा :

परन्तु द्वितीयत: यह कि सभी दशाओं में कोई डाक वस्तु इस धारा के अधीन खोले जाने के पश्चात्, प्रेषिती को परिदत्त कर दी जाएगी, जब तक कि वह इस या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अधिनियमिति के अधीन किसी अतिरिक्त कार्यवाही के प्रयोजन के लिए अपेक्षित न हो, और यह कि डाक वस्तु को खोलने की और उससे सम्बन्धित परिस्थितियों की रिपोर्ट तुरन्त महाडाकपाल को की जाएगी ।

[5]* * * * *

[6][**24क. ऐसी वस्तुओं को सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रदत्त करने की शक्ति**—केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा डाक विभाग के किसी अधिकारी को जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हो इस बात के लिए सशक्त कर सकेगी कि वह किसी ऐसी डाक वस्तु को जो [7][भारत] की सीमाओं के बारह से प्राप्त हुई हो और जिसमें शुल्क के दायित्वाधीन कोई चीज अन्तर्विष्ट होने का सन्देह हो, ऐसे सीमाशुल्क प्राधिकारी को, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट हो, परिदत्त कर दे, और ऐसा सीमाशुल्क प्राधिकारी ऐसी वस्तु के संबंध में सागर सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8)[8] या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अनुकूल कार्यवाही करेगा ।]

25. अधिसूचित माल को डाक द्वारा पारेषण के दौरान रोक लेने की शक्ति—जहां किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के किसी माल के विषय में कोई अधिसूचना सागर सीमाशुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8)[8] की धारा 19 के अधीन प्रकाशित की गई है [9][या जहां किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के माल [7][भारत] में आयात या वहां से निर्यात तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के द्वारा या अधीन प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित किया गया है] वहां डाक विभाग का कोई अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी ऐसे माल के लिए तलाशी कर सकेगा या तलाशी करा सकेगा और [10][उन सब वस्तुओं को, जिनमें ऐसा माल होने का युक्तियुक्त रूप से विश्वास किया जाता है या जिनमें ऐसा माल पाया जाता है,] ऐसे अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त नियुक्त करे और ऐसे माल का व्ययन ऐसे रीति से किया जा सकेगा, जैसी केन्द्रीय सरकार निदिष्ट करे । [11][ऐसी कोई तलाशी करने में डाक विभाग का ऐसा अधिकारी डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी समाचारपत्र या किसी पुस्तक, पैटर्न या सैम्पल पैकेट को खोल सकेगा, या उद्बन्धित कर सकेगा, या खुलवा अथवा उद्बन्धित करा सकेगा ।]

26. डाक वस्तुओं को लोक कल्याण के लिए अन्तर्रुद्ध करने की शक्ति—(1) कोई लोक आपात होने पर या लोक सुरक्षा अथवा प्रशान्ति के हित में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा [12][केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार] द्वारा इस निमित्त विशेषत: प्राधिकृत

---

[1] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[2] 1958 के अधिनियम सं० 7 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा मूल खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा "जहां कोई डाक वस्तु जिसके बारे में संदेह है कि उसमें विनिषिद्ध माल है" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1921 के अधिनियम सं० 15 की धारा 2 द्वारा तीसरे परतुक का लोप किया गया ।
[6] 1921 के अधिनियम सं० 15 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित ।
[7] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] अब सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 देखिए ।
[9] 1930 के अधिनियम सं० 2 की धारा 40 और अनुसूची 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[10] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा "वे सब वस्तुएं जो पाई जाती हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[11] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा अंत:स्थापित ।
[12] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गर्वनर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

कोई अधिकारी लिखित आदेश द्वारा निदिष्ट कर सकेगा कि डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु या किसी वर्ग या वर्णन की डाक वस्तुओं को अन्तर्रुद्ध कर लिया जाए या निरुद्ध किया जाए अथवा [1][उनका ऐसी रीति में व्ययन किया जाएगा जैसा और आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी निदिष्ट करे।]

(2) यदि लोप आपात के विद्यमान होने के विषय में या इस विषय में कि क्या उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई कार्य लोक सुरक्षा अथवा प्रशान्ति के हित में या कोई शंका उत्पन्न होती है तो उस मामले में [2][केन्द्रीय सरकार या यथास्थिति राज्य सरकार का] प्रमाणपत्र निश्चायक सबूत होगा।

27. विदेशों से आई ऐसी डाक वस्तुओं के संबंध में कार्यवाही करने की शक्ति जिनमें बनावटी या पूर्व प्रयुक्त स्टाम्प लगी हो—(1) जहां [3][भारत] की सीमाओं से बाहर के किसी स्थान से डाक द्वारा कोई ऐसी डाक वस्तु प्राप्त होती है—

(क) जिसमें बनावटी डाक महसूल स्टाम्प, अर्थात् किसी डाक महसूल स्टाम्प की कोई अनुलिपि या नकल या प्रारूपण है; या

(ख) जो किसी ऐसे डाक महसूल स्टाम्प से पूर्वसंदत्त हुई तात्पर्यित है जिसका प्रयोग किसी अन्य डाक वस्तु का पूर्वसंदाय करने के लिए किया जा चुका है, वहां उस डाकघर का भारसाधक अधिकारी जहां वह डाक वस्तु प्राप्त हुई है, प्रेषिती को एक सूचना भेजेगा जिसमें उससे कहा जाएगा कि वह उस डाक वस्तु का परिदान ग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय के अन्दर या तो व्यक्तिश: या अपने अभिकर्ता की मार्फत उस डाकघर में हाजिर हो।

(2) यदि प्रेषिती या उसका अभिकर्ता सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर डाकघर में हाजिर होता है और इस बात के लिए सहमत हो जाता है कि वह उस डाक वस्तु को भेजने वाले का नाम और पता उस डाकघर के भारसाधक अधिकारी को बता देगा तथा डाक वस्तु के उस भाग को जिसमें पता और बनावटी या पूर्वप्रयुक्त स्टाम्प लगा है या यदि वह डाक वस्तु उस स्टाम्प से पृथक् नहीं हो सकती तो पूरी डाक वस्तु को पूर्वोक्त अधिकारी को पुन: परिदत्त कर देगा तो वह डाक वस्तु प्रेषिती या उसके अभिकर्ता को परिदत्त कर दी जाएगी।

(3) यदि प्रेषिती या उसका अभिकर्ता सूचना में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर डाकघर में हाजिर होने में असफल रहता है या उस समय के अन्दर हाजिर होकर, उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित रूप से भेजने वाले का नाम और पता बताने से या डाक वस्तु या उसका भाग पुन: परिदत्त करने से इन्कार करता है, तो वह डाक वस्तु उसे परिदत्त नहीं की जाएगी किन्तु उसका व्ययन ऐसी रीति में किया जाएगा जैसी केन्द्रीय सरकार निदिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "डाक महसूल स्टाम्प" पद के अन्तर्गत, [4][भारत के या हिज मेजस्टी के डोमीनियनों] के किसी भाग या विदेश के डाक महसूल की कोई दर या शुल्क द्योतित करने के लिए कोई डाक महसूल स्टाम्प [5][और [6][ऐसे भाग या देश] की सरकार के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन वैसे ही प्रयोजन के लिए उपबन्धित या प्राधिकृत किसी स्टाम्पन यंत्र की छाप भी है।]

[7][**27क. कतिपय समाचारपत्रों के डाक द्वारा पारेषण का प्रतिषेध**—[3][भारत] में मुद्रित और प्रकाशित कोई भी समाचारपत्र जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) के अधीन बनाए गए नियमों के अनुरूप न हो डाक द्वारा पारेषित नहीं किया जाएगा।

27ख. डाक द्वारा पारेषित किए जा रहे समाचारपत्रों और अन्य वस्तुओं को निरुद्ध करने की शक्ति—(1) डाक विभाग का कोई अधिकारी जो महाडाकपाल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी ऐसी डाक वस्तु को निरुद्ध कर सकेगा जिसकी बाबत उसे सन्देह है कि उसमें—

(क) (i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में यथापरिभाषित कोई ऐसा समाचारपत्र या पुस्तक है; या

(ii) कोई ऐसी दस्तावेज है,

जिसमें कोई राजद्रोहात्मक सामग्री अर्थात् कोई ऐसी सामग्री जिसका प्रकाशन भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 124क के अधीन दंडनीय है, अन्तर्विष्ट है; या

(ख) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) में यथापरिभाषित कोई ऐसा समाचारपत्र है जिसका सम्पादन, मुद्रण या प्रकाशन उस अधिनियम में अधिकथित नियमों के अनुरूप होने से अन्यथा है,

---

[1] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा "उनका सरकार या उसके किसी अधिकारी को ऐसी रीति में व्ययन करने के लिए जैसा सपरिषद् गवर्नर जनरल निदेश करे, परिदान किया जाए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत सरकार के या स्थानीय सरकार के सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया गया" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[3] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मेजेस्टीज डोमीनियनों या कि भारतीय राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[5] 1924 के अधिनियम सं० 16 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।

[6] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भाग, राज्य या देश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[7] 1922 के अधिनियम सं० 14 की धारा 6 और अनुसूची 4 द्वारा धारा 27क से 27घ तक अंत:स्थापित।

और इस प्रकार निरुद्ध किसी डाक वस्तु को ऐसे अधिकारी को परिदत्त करेगा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे ।

(2) किसी डाक वस्तु को उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन निरुद्ध करने वाला कोई अधिकारी ऐसे निरोध की सूचना ऐसी वस्तु के प्रेषिती को डाक द्वारा तत्काल भेजेगा ।

(3) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरुद्ध किसी डाक वस्तु की अन्तर्वस्तुओं का परीक्षण कराएगी और यदि राज्य सरकार को प्रतीत होता है कि उस वस्तु में उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित प्रकार का कोई समाचारपत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज अन्तर्विष्ट है, तो उस वस्तु और उसकी अन्तर्वस्तु के व्ययन की बाबत ऐसे आदेश दे सकेगी जैसे वह ठीक समझे और यदि ऐसा प्रतीत नहीं होता है तो उस वस्तु और उसकी अन्तर्वस्तुओं को जब तक कि वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अभिग्रहण के अन्यथा दायित्वाधीन न हो, निर्मुक्त कर देगी :

परन्तु उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के अधीन निरुद्ध किसी वस्तु में हितबद्ध कोई व्यक्ति, ऐसे निरोध की तारीख से दो मास के अन्दर उसकी निर्मुक्ति के लिए राज्य सरकार से आवेदन कर सकेगा और राज्य सरकार ऐसे आवेदन पर विचार करेगी और उस पर ऐसे आदेश पारित करेगी जैसे वह ठीक समझे :

परन्तु यह भी कि यदि ऐसा आवेदन प्रतिक्षेपित कर दिया जाता है, तो आवेदक, उस आवेदन को प्रतिक्षेपित करने वाले आदेश की तारीख से दो मास के अन्दर, इस आधार पर कि उस वस्तु में ऐसा कोई समाचारपत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज नहीं थी जिसमें राजद्रोहात्मक सामग्री अन्तर्विष्ट हो, उस वस्तु और उसकी अन्तर्वस्तुओं की निर्मुक्ति के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन कर सकेगा ।

(4) इस धारा में "दस्तावेज" के अन्तर्गत कोई रंगचित्र, रेखाचित्र या फोटो या अन्य दृश्यरूपण भी है ।

27ग. इस प्रकार निरुद्ध समाचारपत्रों और वस्तुओं की निर्मुक्ति के लिए आवेदनों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रक्रिया—धारा 27ख की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन की सुनवाई और उसका अवधारण दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)[1] की धारा 99ग द्वारा उपबन्धित रीति में गठित उच्च न्यायालय की एक विशेष न्यायपीठ द्वारा उस संहिता की 99घ से लेकर 99च तक की धाराओं द्वारा उपबन्धित रीति से किया जाएगा ।

27घ. अधिकारिता का वर्जन—धारा 27ख के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में उस धारा की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के अनुसार प्रश्नगत किए जाने से अन्यथा प्रश्नगत न की जाएगी ।]

अध्याय 6

रजिस्ट्रीकरण, बीमा और मूल्यदेय डाक

28. डाक वस्तुओं का रजिस्ट्रीकरण—किसी डाक वस्तु को भेजने वाला इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उस डाकघर में, जहां वह डाक में डाली जाती है, उस वस्तु की रजिस्ट्री करा सकेगा और उसके लिए रसीद मांग सकेगा तथा केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी डाक महसूल के अतिरिक्त ऐसी और फीस, जो अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, डाक वस्तुओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदत्त की जाएगी ।

29. रजिस्ट्रीकरण के बारे में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार डाक वस्तुओं के रजिस्ट्रीकरण के बारे में नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) यह घोषित कर सकेंगे कि किन दशाओं में रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित होगा :

(ख) वह रीति विहित कर सकेंगे जिसमें रजिस्ट्रीकरण के लिए फीसें संदत्त की जाएंगी; और

(ग) यह निर्दिष्ट कर सकेंगे कि रजिस्ट्री किए जाने के लिए अपेक्षित किसी डाक वस्तु के, जिस पर रजिस्ट्रीकरण की फीस का पूर्वसंदाय नहीं किया गया है, परिदान पर रजिस्ट्रीकरण की दुगुनी फीस उद्गृहीत की जाएगी ।

(3) रजिस्ट्री किए जाने के प्रयोजन के लिए डाक विभाग के हवाले की गई डाक वस्तुएं, रजिस्ट्री किए जाने पर, ऐसे समयों पर और ऐसी रीति में परिदत्त की जाएंगी, जैसे या जैसी महानिदेशक, आदेश द्वारा समय-समय पर नियत करे ।

30. डाक वस्तुओं के बीमा—केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी—

(क) कि किसी डाक वस्तु का, उस डाकघर में जहां वह डाक में डाली जाती है डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में खोने या नुकसान की जोखिम के विरुद्ध बीमा इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किया जा सकेगा; और उसके लिए एक रसीद डाक में डालने वाले व्यक्ति को दी जाएगी; और

(ख) कि इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी डाक महसूल और फीस के साथ-साथ ऐसी अतिरिक्त फीस भी, जो अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, डाक वस्तुओं के बीमा के लिए संदत्त की जाएगी ।

---

[1] अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) ।

31. डाक वस्तुओं का बीमा अपेक्षित करने की शक्ति—केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि किन दशाओं में बीमा अपेक्षित होगा, और निदिष्ट कर सकेगी कि बीमा किए जाने के लिए अपेक्षित कोई चीज अन्तर्विष्ट रखने वाली कोई डाक वस्तु, जो बीमा किए बिना डाक में डाली गई है, भेजने वाले को लौटाई जाएगी या प्रेषिती को उसका परिदान ऐसी विशेष फीस के संदाय के अध्यधीन किया जाएगा जो अधिसूचना द्वारा नियत की जाए :

परन्तु पूर्वोक्त जैसी विशेष फीस के उद्ग्रहण से उस डाक वस्तु के बारे में [1][केन्द्रीय सरकार [2]***] पर कोई दायित्व अधिरोपित नहीं होगा ।

32. बीमा के बारे में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार डाक वस्तुओं के बीमा के बारे में नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) घोषित कर सकेंगे कि डाक वस्तुओं के कौन वर्ग धारा 30 के अधीन बीमाकृत किए जा सकेंगे;

(ख) उस रकम की सीमा नियत कर सकेंगे जिसके लिए डाक वस्तुओं का बीमा किया जा सकेगा; और

(ग) वह रीति विहित कर सकेंगे जिसमें बीमा की फीसें संदत्त की जाएंगी ।

(3) बीमा किए जाने के प्रयोजन के लिए डाक विभाग के हवाले की गई डाक वस्तुएं बीमा किए जाने पर ऐसे स्थानों और समयों और ऐसी रीति में परिदत्त की जाएंगी जैसे या जैसी महानिदेशक, आदेश द्वारा समय-समय पर नियत करे ।

33. बीमाकृत डाक वस्तुओं के बारे में दायित्व—ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा नियत करे, केन्द्रीय सरकार डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक वस्तु या उसकी अन्तर्वस्तुओं के खो जाने के लिए या उनको हुए किसी नुकसान के लिए उसे भेजने वाले को इतना प्रतिकर देने के दायित्वाधीन होगी जितना उस रकम से जिसके लिए डाक वस्तु का बीमा किया गया है, अधिक न हो :

परन्तु इस प्रकार संदेय प्रतिकर, खोई हुई वस्तु के मूल्य या हुए नुकसान की रकम से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा ।

34. मूल्यदेय डाक वस्तुओं का डाक द्वारा पारेषण—केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदिष्ट कर सकेगी कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के और ऐसी दरों पर, जैसी अधिसूचना द्वारा नियत की जाएं, फीसों के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, वह धनराशि, जो डाक वस्तु के भेजने वाले द्वारा उसे डाक में देने के समय लेखबद्ध रूप में विनिर्दिष्ट की गई हो, प्रेषिती से उस वस्तु के परिदान पर वसूलीय होगी और कि इस प्रकार वसूल की गई राशि भेजने वाले को दी जाएगी :

परन्तु [3][केन्द्रीय सरकार] वसूली के लिए विनिर्दिष्ट राशि के बारे में कोई दायित्व उपगत नहीं [3][करेगी] जब तक कि वह राशि प्रेषिती से प्राप्त न हो गई हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के उपबन्धों के अनुसार भेजी गई डाक वस्तुएं, "मूल्यदेय" डाक वस्तुओं के रूप में वर्णित की जा सकेंगी ।

35. मूल्यदेय डाक वस्तुओं के बारे में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार मूल्यदेय डाक वस्तुओं के डाक द्वारा पारेषण के बारे में नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) घोषित कर सकेंगे कि डाक वस्तुओं के कौन से वर्ग मूल्यदेय डाक वस्तुओं के रूप में भेजे जा सकेंगे;

(ख) निर्दिष्ट कर सकेंगे कि कोई डाक वस्तु इस प्रकार तब तक नहीं भेजी जाएगी जब तक भेजने वाला यह घोषणा नहीं कर देता कि वह उसके द्वारा प्राप्त वास्तविक आर्डर के निष्पादन में भेजी जा रही है;

(ग) किसी मूल्यदेय डाक वस्तु के परिदान पर वसूल किए जाने वाले मूल्य को सीमित कर सकेंगे; [4]***

(घ) मूल्यदेय डाक वस्तुओं के भेजने वालों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्ररूप और फीसों के संदाय का समय और रीति, विहित कर सकेंगे;

[5][(ङ) किसी मूल्यदेय डाक वस्तु के परिदान पर वसूल हुए धन को कपट की दशाओं में प्रतिधृत रखने और प्रेषिती को प्रतिसंदत्त करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; और

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "काउंसिल में भारत का सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "या राज्य का सचिव" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "न तो केंद्रीय सरकार और न राज्य का सचिव.....करेगा" के स्थान पर, जो भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के लिए राज्य का सचिव.....नहीं करेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, प्रतिस्थापित ।

[4] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 7 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया ।

[5] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 7 द्वारा जोड़ा गया ।

(च) मूल्यदेय डाक वस्तुओं के परिदान या उनके लिए संदाय की बाबत शिकायतों की जांच के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें विहित कर सकेंगे ।]

(3) डाक वस्तुएं, "मूल्यदेय" के रूप में भेजे जाने के प्रयोजन के लिए डाक विभाग के हवाले की जाएंगी और इस प्रकार भेजी जाने पर, ऐसे समयों पर और ऐसी रीति में परिदत्त की जाएंगी जैसे या जैसी महानिदेशक आदेश द्वारा, समय-समय पर, नियत करे ।

[1][(4) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो उपधारा (2) के खण्ड (ड) के अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन की गई हो या सद्भावपूर्वक की गई तात्पर्यित हो, [2][केन्द्रीय सरकार [3]***] या डाक विभाग के किसी अधिकारी के विरुद्ध संस्थित नहीं होगी ।

36. अन्य देशों के साथ ठहरावों को प्रभावशील करने की शक्ति—(1) जहां [4][भारत] और यूनाइटेड किंगडम या किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र [5][[6]*** या विदेश के बीच रजिस्ट्रीकृत या मूल्यदेय डाक वस्तुओं के डाक द्वारा पारेषण के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ या ऐसे कब्जाधीन क्षेत्र [4][[6]*** या विदेश के साथ [7][[8][किए गए] ठहराव प्रवृत्त हों], वहां केन्द्रीय सरकार] ऐसे ठहरावों को प्रभावशील करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विहित कर सकेंगे—

(क) यथापूर्वोक्त डाक वस्तुओं के भेजने वालों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्ररूप; और

(ख) उसके लिए प्रभारित की जाने वाली फीसें ।

अध्याय 7

अपरिदत्त डाक वस्तुएं

37. अपरिदत्त डाक वस्तुओं के व्ययन के बारे में नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार ऐसी डाक वस्तुओं के व्ययन के बारे में जो किसी कारण से परिदत्त नहीं की जा सकती (जिन्हें इसके पश्चात् इसमें "अपरिदत्त डाक वस्तुएं" कहा गया है), नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम—

(क) वह कालावधि विहित कर सकेंगे, जिसके दौरान डाकघर में की अपरिदत्त डाक वस्तुएं उस डाकघर में रहेंगी; और

(ख) अपरिदत्त डाक वस्तुओं की या अपरिदत्त डाक वस्तुओं के किसी वर्ग की सूचियों के प्रकाशन के लिए उपबन्ध कर सकेंगे ।

(3) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन नियम द्वारा विहित कालावधि के लिए किसी डाकघर में निरुद्ध किए जाने के पश्चात् हर अपरिदत्त डाक वस्तु, या तो उस डाकघर को जहां वह डाक गई थी, भेजने वाले को लौटा दी जाने के लिए, किसी अतिरिक्त प्रभार के बिना अग्रेषित की जाएगी या महाडाकपाल के कार्यालय को भेज दी जाएगी ।

38. अपरिदत्त डाक वस्तुओं का महाडाकपाल के कार्यालय में व्ययन—(1) महाडाकपाल के कार्यालय में धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त हर डाक वस्तु के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप में कार्यवाही की जाएगी :—

(क) यदि साध्य हो तो उसे पता बदल कर भेजा जाएगा और डाक द्वारा प्रेषिती को भेज दिया जाएगा; या

(ख) यदि पूर्वोक्त रूप में उसका पता बदला नहीं जा सकता और उसे भेजा नहीं जा सकता, तो महाडाकपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त और गोपनीयता के लिए आबद्ध किसी अधिकारी द्वारा भेजने का नाम और पता अभिनिश्चित करने के लिए उसे खोला जाएगा ।

(2) यदि भेजने वाले का नाम और पता इस प्रकार अभिनिश्चित कर लिया जाता है तो उसे भेजने वाले को अतिरिक्त प्रभार के बिना या ऐसे अतिरिक्त प्रभार के अध्यधीन जैसा केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे, डाक द्वारा लौटा दिया जाएगा ।

---

[1] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 7 द्वारा जोड़ा गया ।
[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश 1937 द्वारा "काउंसिल में भारत के लिए राज्य का सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] भारतीय स्वतंत्रता (केंद्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "राज्य का सचिव" शब्दों का लोप किया गया ।
[4] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्यों" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारतीय राज्य या विदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "भाग ख राज्य के तत्स्थानी भारतीय राज्य" शब्दों का लोप किया गया ।
[7] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "राज्य या देश" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] विनि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रवृत्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

39. अपरिदत्त डाक वस्तुओं का अंतिम व्ययन—अपरिदत्त डाक वस्तुएं, जिनका व्ययन पूर्वगामी उपबन्धों के अधीन नहीं किया जा सकता, महाडाकपाल के कार्यालय में इतनी अतिरिक्त कालावधि के लिए (यदि कोई हो) निरुद्ध की जाएंगी और उनके सम्बन्ध में ऐसी रीति से कार्यवाही की जाएगी जैसी केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा निर्दिष्ट करे :

परन्तु—

(क) पत्र और पोस्टकार्ड नष्ट कर दिए जाएंगे;

(ख) किसी अपरिदत्त डाक वस्तु में पाए गए धन और विक्रय योग्य सम्पत्ति को, जो विनिश्वर प्रकृति की नहीं है, महाडाकपाल के कार्यालय में एक वर्ष की कालावधि तक निरुद्ध रखा जाएगा, और यदि उस कालावधि के अवसान पर किसी व्यक्ति ने उस पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं किया है, तो उसे, यदि वह धन है तो, डाक विभाग के नाम जमा कर दिया जाएगा और यदि वह विक्रय योग्य सम्पत्ति है तो, बेच दिया जाएगा और विक्रय आगमों को डाक विभाग के नाम जमा कर दिया जाएगा।

अध्याय 8

पोतपत्र

40. भारत के किसी पत्तन से प्रस्थान करने वाले और डाक पोत न होने वाले पोत के मास्टर का डाक थैलों को पहुंचाने का कर्तव्य—किसी ऐसे पोत का मास्टर, जो डाक पोत न हो और जो [1][भारत] के किसी पत्तन से [1][भारत] के अन्दर के किसी पत्तन या बाहर के किसी पत्तन या स्थान को प्रस्थान करने ही वाला हो किसी डाक थैले को जो उसे पहुंचाने के लिए डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा दिया जाए, उसके लिए ऐसे प्ररूप में रसीद देकर जैसा केन्द्रीय सरकार नियम द्वारा विहित करे उसे पोत पर ग्रहण करेगा और गन्तव्य पत्तन या स्थान पर अविलम्ब परिदत्त करेगा।

41. भारत के किसी पत्तन में पहुंचने वाले पोत के मास्टर का पोत पर के डाक थैलों और डाक वस्तुओं के बारे में कर्तव्य—(1) [1][भारत] के किसी पत्तन में पहुंचने वाले पोत का मास्टर पोत पर ही हर डाक वस्तु या डाक थैले को, जो उस पत्तन के लिए उद्दिष्ट है और जो धारा 4 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत है, या तो उस पत्तन के डाकघर में या महाडाकपाल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत डाक विभाग के किसी अधिकारी को अविलम्ब परिदत्त कराएगा।

(2) यदि पोत पर कोई ऐसी डाक वस्तु या डाक थैला है, जो [1][भारत] के अन्दर के किसी अन्य स्थान के लिए उद्दिष्ट है और यथापूर्वोक्त अनन्य विशेषधिकार के अन्तर्गत है, तो मास्टर आगमन पत्तन के डाकघर के भारसाधक अधिकारी को उसकी रिपोर्ट देगा और उन निदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो ऐसे अधिकारी से उसे प्राप्त हों, और ऐसे अधिकारी द्वारा दी गई रसीद उसे उस डाक वस्तु या डाक थैले के विषय में सब अतिरिक्त उत्तरदायित्व से उन्मोचित कर देगी।

42. डाक पोतों से भिन्न पोतों द्वारा डाक वस्तुओं के पहुंचाने के लिए उपदानों की मंजूरी—केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि ऐसे पोतों के मास्टरों को, जो डाक पोत नहीं हैं, उन डाक वस्तुओं के लिए जो डाक विभाग की ओर से पहुंचाए जाने के लिए उनके द्वारा ग्रहण की गई हों क्या उपदान दिए जाएंगे, और यदि उस पोत का मास्टर, जो डाक पोत न हो और जो पूर्वोक्त रूप से [1][भारत] का कोई पत्तन छोड़ने ही वाला हो, पहुंचाए जाने के लिए कोई डाक थैला पोत पर ग्रहण करता है तो वह उस डाक थैले और उसकी अन्तर्वस्तुओं के सम्बन्ध में इस धारा के अधीन देय उपदान की रकम तुरन्त मांगने और अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

अध्याय 9

मनीआर्डर

43. मनीआर्डर पद्धति बनाए रखने और तद्द्वारा विप्रेषणों की बाबत नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार छोटी धनराशियों को मनीआर्डरों द्वारा डाक विभाग के माध्यम से विप्रेषित करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी, और ऐसे मनीआर्डरों की बाबत नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित विहित कर सकेंगे—

(क) उस रकम की सीमा, जिसके लिए मनीआर्डर किए जा सकेंगे;

(ख) वह कालावधि, जिसके दौरान मनीआर्डर चालू रहेंगे; और

(ग) मनीआर्डरों पर, या उनके विषय में प्रभारित किए जाने वाले कमीशन या फीसों की दरें।

44. मनीआर्डर वापस मंगाने या पाने वाले का नाम बदलने की विप्रेषक की शक्ति—(1) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी केन्द्रीय सरकार धारा 43 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कमीशन या फीसों की अतिरिक्त दरों के उद्ग्रहण या किन्हीं अन्य

---

[1] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

मामलों की बाबत विहित करे, मनीआर्डर द्वारा डाक विभाग के माध्यम से धन विप्रेषित करने वाला व्यक्ति यह अपेक्षा कर सकेगा कि मनीआर्डरों की रकम, यदि पाने वाले को संदत्त नहीं की गई है तो उसे प्रतिसंदत्त की दी जाए, या मूल पाने वाले से भिन्न ऐसे व्यक्ति को संदत्त की जाए, जिसके बारे में वह निर्दिष्ट करे ।

(2) यदि किसी मनीआर्डर का न तो पाने वाला और न विप्रेषित करने वाला ही पाया जा सके और यदि मनीआर्डर करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अन्दर कोई दावा, ऐसे पाने वाले या विप्रेषित करने वाले द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसे मनीआर्डर की रकम के लिए सरकार पर दावा नहीं किया जा सकेगा ।

45. पोस्टल आर्डर जारी करने के लिए उपबन्ध करने की शक्ति—[1][(1)] केन्द्रीय सरकार कतिपय नियत राशियों के लिए मनीआर्डरों का ऐसे प्ररूप में जैसा उपयुक्त हो जारी किया जाना प्राधिकृत कर सकेगी जो पोस्टल आर्डर या ऐसे अन्य नाम से ज्ञात होंगे जैसा समुचित समझा जाए और उन पर प्रभारित किए जाने वाले कमीशन की दरों के और उस रीति के, जिसमें और उन शर्तों के, जिन पर वे जारी, संदत्त और रद्द किए जा सकेंगे, बारे में नियम बना सकेगी ।

[2]* * * * *

[3][(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे नियम भी बना सकेगी जो उस रकम की अधिकतम सीमा विहित करे जिस तक के पोस्टल आर्डर समय-समय पर जारी किए जा सकेंगे ।

46. अन्य देशों के साथ ठहरावों को प्रभावशील करने की शक्ति—(1) जहां यूनाइटेड किंगडम के साथ या किसी ब्रिटिश कब्जाधीन क्षेत्र [4][[5]*** या विदेश के साथ, [6][भारत] और यूनाइटेड किंगडम या ऐसे कब्जाधीन क्षेत्र [7][[8]*** या विदेश के बीच मनीआर्डरों को डाक विभाग के माध्यम से जारी और संदाय करने के लिए [9][किए गए] ठहराव प्रवृत्त हैं] वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे ठहरावों को प्रभावशील करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित विहित कर सकेंगे—

(क) वह रीति जिसमें और वे शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे मनीआर्डर [6][भारत] में जारी और संदत्त किए जा सकेंगे; और

(ख) उन पर प्रभारित किए जाने वाले कमीशन की दरें ।

47. गलत व्यक्तियों को संदत्त किए गए मनीआर्डर की वसूली—यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना, जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा—

(क) किसी मनीआर्डर लेखे डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा उसे संदत्त किसी ऐसी रकम को, जो उस रकम से अधिक है, जो उस लेखे उसे संदत्त की जानी चाहिए थी; या

(ख) किसी मनीआर्डर की रकम को, जो डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की बजाय, जिसे वह संदत्त की जानी चाहिए थी, उसे संदत्त की गई है,

प्रतिदत्त करने में उपेक्षा करता है या इंकार करता है तो ऐसी रकम महाडाकपाल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत डाक विभाग के अधिकारी द्वारा ऐसी उपेक्षा या इंकार करने वाले व्यक्ति से इस प्रकार वसूलीय होगी, मानो वह उस द्वारा देय भू-राजस्व की बकाया हो ।[10]

48. मनीआर्डरों के बारे में दायित्व से छूट—कोई भी वाद या अन्य विधि कार्यवाही [11][सरकार] या डाक विभाग के किसी अधिकारी के विरुद्ध निम्नलिखित के बारे में संस्थित नहीं होगी—

(क) इस अध्याय के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन की गई कोई बात; या

(ख) पाने वाले के नाम और पते की बाबत विप्रेषक द्वारा दी गई गलत या अपूर्ण जानकारी से हुआ किसी मनीआर्डर का गलत संदाय, परन्तु तब जबकि अपूर्ण जानकारी को, पाने वाले को पहचानने के प्रयोजन के लिए पर्याप्त वर्णन के रूप में स्वीकार करने के लिए युक्तियुक्त कारण था; या

---

[1] 1970 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा धारा 45 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित ।
[2] 1970 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा परंतुक का लोप किया गया ।
[3] 1970 के अधिनियम सं० 34 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।
[4] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भारतीय राज्य या विदेश" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "भाग ख राज्य के तत्स्थानी भारतीय राज्य" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "राज्य या देश" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "भाग ख राज्य" शब्दों का लोप किया गया ।
[9] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रवृत्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[10] देखिए राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (1890 का 1) ।
[11] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्राउन" के जो भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "काउंसिल में भारत के लिए राज्य का सचिव" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किसी आकस्मिक उपेक्षा, लोप या भूल से या उसके कारण अथवा ऐसे अधिकारी के कपट या जानबूझकर किए गए कार्य या त्रुटि से भिन्न किसी अन्य कारण मनीआर्डर के संदाय से इंकार या उसमें विलम्ब; [1][या

(घ) किसी मनीआर्डर के जारी करने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उस मनीआर्डर का गलत संदाय; या

(ङ) किसी डाकघर के अधिकारी द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित नहीं है, [2][भारत] की सीमाओं से बाहर किसी मनीआर्डर का कोई गलत संदाय या उसके संदाय में विलम्ब ।

अध्याय 10

शास्तियां और प्रक्रिया

डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा अपराध

49. डाक थैलों या डाक वस्तुओं को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित व्यक्ति के अवचार के लिए शास्ति—जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक थैले या डाक वस्तु को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित होते हुए—

(क) उस समय, जबकि वह इस प्रकार नियोजित है, नशे की हालत में होगा; या

(ख) असावधानी या अन्य अवचार का दोषी होगा जिससे कि यथापूर्वोक्त किसी डाक थैले या डाक वस्तु की सुरक्षा संकटापन्न होती है; या

(ग) घूमता फिरता रहेगा अथवा यथापूर्वोक्त किसी डाक थैले या डाक वस्तु के पहुंचाने या परिदान में विलम्ब करेगा; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी डाक थैले या डाक वस्तु को सुरक्षित रूप से पहुंचाने या परिदत्त करने में सम्यक् सावधानी और तत्परता का प्रयोग नहीं करेगा,

वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

50. डाक थैलों या डाक वस्तुओं को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा इजाजत या सूचना के बिना कर्तव्य से स्वेच्छया अलग हो जाने के लिए शास्ति—जो कोर्ड डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक थैले या डाक वस्तु को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित होते हुए, इजाजत लिए बिना या एक मास की लिखित पूर्व सूचना दिए बिना अपने पद के कर्तव्य से स्वेच्छया अलग हो जाएगा यह कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

51. डाक वस्तुओं को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित व्यक्ति द्वारा रखे गए रजिस्टर में मिथ्या प्रविष्टि करने के लिए शास्ति—जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु को ले जाने या परिदत्त करने के लिए नियोजित होते हुए और इस प्रकार नियोजित रहने के दौरान कोई रजिस्टर रखने के लिए अपेक्षित होते हुए उस रजिस्टर में कोई मिथ्या प्रविष्टि यह विश्वास उत्प्रेरित करने के आशय से करेगा, कराएगा या करने देगा कि वह किसी स्थान पर गया है या उसने कोई डाक वस्तु परिदत्त की है, जब कि वह वहां नहीं गया है या उसने परिदान नहीं किया है वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

52. डाक वस्तुओं की चोरी करने, बेईमानी से दुर्विनियोग करने, छिपाने, नष्ट करने या फेंक देने के लिए शास्ति—जो कोई डाक विभाग का अधिकारी होते हुए डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु या उसमें अन्तर्विष्ट किसी चीज की चोरी करेगा, या बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करेगा या किसी भी प्रयोजन के लिए उसे छिपाएगा नष्ट करेगा या फेंक देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

53. डाक वस्तुओं को खोलने, निरुद्ध करने या विलम्बित करने के लिए शास्ति—जो कोई डाक विभाग का अधिकारी होते हुए डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु को अपने कर्तव्य के प्रतिकूल खोलेगा या खुलवाएगा या खोलने देगा या ऐसी किसी डाक वस्तु को जानबूझकर निरुद्ध या विलम्बित करेगा या निरुद्ध या विलम्बित कराएगा या करने देगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेश या किसी सक्षम न्यायालय के निदेश के आज्ञापालन में किसी डाक वस्तु को खोलने, निरुद्ध करने या विलम्बित करने पर लागू नहीं होगी ।

---

[1] 1912 के अधिनियम सं० 3 की धारा 8 द्वारा जोड़ा गया ।

[2] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

54. शासकीय चिह्नों के सम्बन्ध में कपट के लिए तथा अधिक डाक महसूल की प्राप्ति के लिए शास्ति—जो कोई डाक विभाग का अधिकारी होते हुए—

(क) किसी डाक वस्तु पर कपटपूर्वक कोई गलत शासकीय चिह्न लगाएगा; या

(ख) किसी शासकीय चिह्न को, जो किसी डाक वस्तु पर लगा है, कपटपूर्वक बदलेगा, हटाएगा या विलुप्त कराएगा; या

(ग) किसी डाक वस्तु का परिदान करने के भाराधीन होते हुए उसके डाक महसूल के बारे में कोई ऐसी धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य नहीं है, मांगेगा या प्राप्त करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

55. डाकघर दस्तावेजों को कपटपूर्वक तैयार करने, बदलने, छिपाने या नष्ट करने के लिए शास्ति—जो कोई डाक विभाग का ऐसा अधिकारी होते हुए जिसे किसी दस्तावेज को तैयार करने या रखने का काम सौंपा गया है उस दस्तावेज को कपटपूर्वक गलत रूप में तैयार करेगा या उस दस्तावेज को बदलेगा या छिपाएगा या नष्ट करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

56. असंदत्त डाक वस्तुओं को कपटपूर्वक भेजने के लिए शास्ति—जो कोई डाक विभाग का अधिकारी होते हुए ऐसी डाक वस्तु को जिस पर डाक महसूल संदत्त नहीं किया गया है या इस अधिनियम द्वारा विहित रीति में प्रभारित नहीं किया गया है डाक से भेजेगा या डाक थैले में रखेगा जिसका आशय तद्द्वारा ऐसी डाक वस्तु पर डाक महसूल से सरकार को कपटवंचित करना है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

57. [**निरसित** ।]—अनुसूचित क्षेत्र, सम्मिलित होने वाले राज्य या अन्य भारतीय राज्य में अपराध किए जाने पर दण्ड ।]—वित्त अधिनियम, 1950 (1950 का 25) की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा निरसित।

अन्य अपराध

58. धारा 4 के उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जो कोई—

(क) धारा 4 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी पत्र को डाक से पहुंचाने से अन्यथा पहुंचाएगा; या

(ख) पूर्वोक्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी पत्र को डाक से अन्यथा पहुंचाने के आनुषंगिक कोई सेवा करेगा; या

(ग) पूर्वोक्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी पत्र को डाक से अन्यथा भेजेगा या भेजे जाने के लिए निविदत्त या परिदत्त करेगा; या

(घ) पूर्वोक्त अनन्य विशेषाधिकार से अपवादित पत्रों का संग्रहण, उन्हें डाक से अन्यथा भेजने के प्रयोजन के लिए करेगा,

वह जुर्माने से, जो हर ऐसे पत्र के लिए पचास रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष किए जाने पर तद्धीन पुन: सिद्धदोष किया जाता है वह हर ऐसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

59. धारा 5 के उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जो कोई धारा 5 के उपबन्धों के उल्लंघन में पत्रों को ले जाएगा, ग्रहण करेगा, निविदत्त करेगा या परिदत्त करेगा या पत्रों को संगृहीत करेगा वह जुर्माने से, जो हर ऐसे पत्र के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए पहले ही सिद्धदोष किए जाने पर तद्धीन पुन: सिद्धदोष किया जाता है वह हर ऐसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

60. धारा 16 के अधीन नियमों के भंग के लिए शास्ति—जो कोई डाक महसूल स्टाम्पों को बेचने के लिए नियुक्त होते हुए—

(क) किसी डाक महसूल स्टाम्प या कितने ही डाक महसूल स्टाम्पों के लिए क्रेता से ऐसी कीमत लेगा जो धारा 16, उपधारा (3), खंड (क) के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा नियत कीमत से उच्चतर है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा; या

(ख) धारा 16 के अधीन बनाए गए किसी अन्य नियम को भंग करेगा वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

61. धारा 19, 19क या 20 के उल्लंघन के लिए शास्ति—(1) जो कोई धारा 19 [1][या धारा 19क] या धारा 20 के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी डाक वस्तु या किसी चीज को डाक द्वारा भेजेगा, या भेजे जाने के लिए निविदत्त या सपुर्द करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा ।

(2) किसी डाक वस्तु का डाक विभाग में इस आधार पर निरोध, कि उसे धारा 19 [1][या धारा 19क] या धारा 20 के उपबन्धों के उल्लंघन में भेजा गया है, भेजने वाले को किसी ऐसी कार्यवाही से छूट नहीं देगा जो तब की जा सकती जब वह डाक वस्तु डाक के अनुक्रम में परिदत्त की जाती ।

62. डाकघर लेटरबक्सों को खराब करने या क्षति पहुंचाने के लिए शास्ति—जो कोई डाक वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए डाक विभाग द्वारा उपलभ्य किसी लेटरबक्स में या पास कोई अग्नि, दियासलाई या बत्ती, कोई विस्फोटक, खतरनाक, गन्दा, अपायकर या हानिकारक पदार्थ या कोई तरल पदार्थ रखेगा, या किसी ऐसे लेटरबक्स में या के समीप कोई न्यूसेन्स करेगा या कोई ऐसी बात करेगा जिससे यह सम्भाव्य है कि किसी ऐसे लेटरबक्स या उसके अनुलग्नों या अन्तर्वस्तुओं को क्षति पहुंचे, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

63. प्राधिकार के बिना डाकघर या डाकघर के लेटरबक्स में कोई चीज लगाने या पोतने, तारकोल लगाने या विरूपित करने के लिए शास्ति—जो कोई किसी डाकघर या डाक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए डाक विभाग द्वारा उपलब्ध किसी लेटरबक्स में, या उस पर उचित प्राधिकार के बिना कोई प्लेकार्ड, विज्ञापन, सूचना, सूची, दस्तावेज, बोर्ड या कोई अन्य चीज लगाएगा या रंग पोतेगा या तारकोल लगाएगा या उसे किसी प्रकार विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

64. मिथ्या घोषणा करने के लिए शास्ति—जो कोई डाक द्वारा भेजी जाने वाली किसी डाक वस्तु या उसकी अन्तर्वस्तुओं या मूल्य के विषय में घोषणा करने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित होते हुए अपनी घोषणा में कोई ऐसा कथन करेगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा और यदि मिथ्या घोषणा सरकार को धोखा देने के प्रयोजन के लिए की जाएगी, तो जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

65. धारा 40 या 41 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहने वाले पोत के मास्टर के लिए शास्ति—जो कोई किसी पोत का मास्टर होते हुए—

(क) धारा 40 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल होगा; या

(ख) युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना, जिसे साबित करने का भार उसी पर होगा, आगमन पत्तन में, किसी डाक वस्तु या डाक के थैले को परिदत्त करने में या वहां के डाकघर के भारसाधक अधिकारी के निदेशों का अनुपालन करने में, जैसा कि धारा 41 द्वारा अपेक्षित है असफल होगा,

वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

66. पत्तन में पहुंचने वाले जलयान पर के पत्रों को निरुद्ध करने के लिए शास्ति—(1) [2][भारत] में किसी पत्तन पर पहुंचने वाले किसी पोत का मास्टर या पोत पर कोई भी जो पोत पर की डाक वस्तुओं या उनमें से किसी को आगमन के पत्तन पर डाकघर को भेज दिए जाने के पश्चात्, किसी ऐसी डाक वस्तु को धारा 4 द्वारा केंद्रीय सरकार को प्रदत्त अनन्य विशेषाधिकार के अन्तर्गत है, जानबूझकर अपने सामान में या अपने कब्जे में या अपनी अभिरक्षा में रखेगा वह जुर्माने से, जो यथापूर्वोक्त हर डाक वस्तु के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई यथापूर्वोक्त मास्टर या अन्य व्यक्ति होते हुए यथापूर्वोक्त किसी डाक वस्तु को डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा उसकी मांग किए जाने के पश्चात् निरुद्ध रखेगा वह जुर्माने से, जो हर ऐसी डाक वस्तु के लिए एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

67. डाक को निरुद्ध करने के या डाक थैले को खोलने के लिए शास्ति—जो कोई इस अधिनियम [3][या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के] प्राधिकार के अधीन या केन्द्रीय सरकार के लिखित आदेश या किसी सक्षम न्यायालय के निदेश के आज्ञापालन में के सिवाय, डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक या किसी डाक वस्तु को निरुद्ध करेगा या डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक थैले को किसी बहाने से खोलेगा, वह जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में डाक या किसी डाक वस्तु को ले जाने वाले डाक विभाग के किसी अधिकारी का निरोध इस आरोप पर किए जाने से नहीं रोकेगी कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)[4] या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा संज्ञेय घोषित है ।

---

[1] 1958 के अधिनियम सं० 7 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1950 के अधिनियम सं० 25 की धारा 11 और अनुसूची 4 द्वारा "राज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1921 के अधिनियम सं० 15 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखिए ।

68. गलत तौर से परिदत्त डाक वस्तुओं या डाक थैलों को प्रतिधारित रखने के लिए शास्ति—जो कोई डाक द्वारा पारेषण के अनुक्रम में किसी डाक वस्तु को, जो किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त की जानी चाहिए थी, या किसी वस्तु को अन्तर्विष्ट रखने वाले डाक थैले को कपटपूर्वक प्रतिधारित रखेगा या जानबूझकर छिपाएगा या हटाएगा या रखेगा या निरुद्ध करेगा या डाक विभाग के किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाने पर, उसे परिदत्त करने में उपेक्षा करेगा या उससे इन्कार करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

69. पत्रों को विधिविरुद्ध तथा मोड़ने के लिए शास्ति—जो कोई डाक विभाग का अधिकारी न होते हुए किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से किसी पत्र को, जो परिदत्त किया जाना चाहिए था, जानबूझकर या विद्वेषत: या तो खोलेगा या खुलवाएगा या कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे किसी व्यक्ति को पत्र का सम्यक् परिदान निवारित हो जाए या उसमें अड़चन पड़ जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात उस किसी व्यक्ति को, जो ऐसा कोई कार्य करता है जिसको यह धारा लागू होती है, उस दशा में लागू नहीं होगी जिसमें वह प्रेषिती के पिता या माता है या माता या पिता अथवा संरक्षक की स्थिति में है और प्रेषिती अवयस्क या प्रतिपाल्य है।

साधारण

70. अधिनियम के अधीन अपराधों के दुष्प्रेरण या अपराध करने के प्रयत्न के लिए शास्ति—जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या इस प्रकार दण्डनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डनीय होगा।

71. अपराधों के मामले में सम्पत्ति का डाक विभाग में होना—डाक द्वारा भेजे गए डाक थैले के या किसी डाक वस्तु के बारे में किसी अपराध के लिए हर अभियोजन में आरोप के प्रयोजन के लिए डाक थैले या डाक वस्तु की बाबत यह वर्णन पर्याप्त होगा कि वह डाक विभाग की सम्पत्ति है और यह साबित करना आवश्यक नहीं होगा कि डाक थैला या डाक वस्तु किसी मूल्य की थी।

72. अधिनियम की कतिपय धाराओं के अधीन अभियोजनों के लिए प्राधिकार—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम की धारा 51, 53, 54 खंड (क) और (ख), 55, 56, 58, 59, 61, 64, 65, 66 और 67 के उपबन्धों में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान महानिदेशक या किसी महाडाकपाल के आदेश से या प्राधिकाराधीन परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा।

अध्याय 11

अनुपूरक

73. जमींदारी और अन्य जिला डाक—(1) केन्द्रीय सरकार किसी जमींदारी या अन्य जिला डाक के प्रबन्धक के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम घोषित कर सकेंगे कि इस अधिनियम के कौन से भाग जमींदारी और अन्य जिला डाक को और उसके सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों को लागू होंगे।

74. अधिनियम के अधीन नियम और नियमों सम्बन्धी उपबन्ध बनाने की साधारण शक्ति—(1) इसके पूर्व इसमें प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों और उद्देश्यों में से किसी को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई नियम बनाने में केन्द्रीय सरकार निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो पचास रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सब नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर इस प्रकार प्रभावशील होंगे मानो वे इस अधिनियम द्वारा अधिनियमित हों।

[1][(4) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

---

[1] 2005 के अधिनियम सं० 4 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अंत:स्थापित।

75. नियम बनाने की शक्तियों से भिन्न शक्तियों का महानिदेशक को प्रत्यायोजन—केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, महानिदेशक को, इस अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों में से नियम बनाने की शक्ति से भिन्न किसी शक्ति का प्रयोग या तो आत्यन्तिक रूप से या शर्तों के अध्यधीन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

76. [निरसित ।]—निरसन और संशोधनकारी अधिनियम, 1914 (1914 का 10) की धारा 3 और अनुसूची 11 द्वारा निरसित ।

77. [व्यावृत्ति ।]—निरसन और संशोधनकारी अधिनियम, 1952 (1952 का 48) की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा निरसित ।

[1][प्रथम अनुसूची

(धारा 7 देखिए)

अंतर्देशीय डाक महसूल की दरें

पत्र

बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए	5.00 रु०
बीस ग्राम से अनधिक के हर बीस ग्राम, या उसके भिन्नांश के लिए	5.00 रु०

पत्र-कार्ड

एक पत्र-कार्ड के लिए	2.50 रु०

पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड (जो ऐसे कार्ड नहीं हैं जिनमें मुद्रित संसूचना है या जो प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या मेघदूत पोस्ट कार्ड है)

एकल	50 पैसे
जवाबी	1.00 रु०

मेघदूत पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड जिसमें पते की ओर मुद्रित विज्ञापन है (जो ऐसा पोस्ट कार्ड नहीं है जिसमें मुद्रित संसूचना है या जो प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड हैं)

एक मेघदूत पोस्ट कार्ड के लिए	25 पैसे

मुद्रित पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड जिनमें मुद्रित संसूचना है (जो प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या मेघदूत पोस्ट कार्ड नहीं है)

एक पोस्ट कार्ड के लिए	6.00 रु०

स्पष्टीरकण—यदि पोस्ट कार्ड में कोई बात (भेजने वाले के नाम और पते तथा उससे संबंधित अन्य विशिष्टियों तथा भेजने के स्थान और तारीख को छोड़कर) मुद्रण या चक्र-मुद्रण या किसी अन्य यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा, टंकण के सिवाय, पोस्ट कार्ड के पते वाले पृष्ठ के दाहिने हाथ के आधे भाग के सिवाय किसी अन्य भाग पर अभिलिखित की जाती है तो यह समझा जाएगा कि उस पोस्ट कार्ड में मुद्रित संसूचना है ।

प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड

एक पोस्ट कार्ड के लिए	10.00 रु०

स्पष्टीकरण—यदि पोस्ट कार्ड का प्रयोग टैलीविजन, रेडियो, समाचारपत्र, पत्रिका अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से आयोजित किसी प्रतियोगिता के जवाब में किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह पोस्ट कार्ड, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड है ।

पुस्तक, पैटर्न और सैम्पल पैकेट

प्रथम पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	4.00 रु०
पचास ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	3.00 रु०

[1] 2002 के अधिनियम सं० 20 की धारा 156 द्वारा प्रतिस्थापित ।

रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र

पचास ग्राम से अनधिक वजन के लिए	25 पैसे
पचास ग्राम से अधिक किन्तु एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	50 पैसे
एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	20 पैसे

किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र के उसी अंक की एक से अधिक एक ही पैकेट में ले जाने की दशा में,—

एक सौ ग्राम से अधिक वजन के लिए	50 पैसे
एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	20 पैसे

परंतु यह तब जब कि ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती के निवास स्थान पर परिदत्त नहीं किया जाएगा किन्तु किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को डाकघर में दिया जाएगा।

पार्सल

पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	19.00 रु०
पांच सौ ग्राम से अधिक के हर पांच सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	16.00 रु०

द्वितीय अनुसूची—[निरसित।]